न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,लखनऊ।
एस.टी.नं0–1065 / 2019
आर.सी. नं0–4(एस) / 20019

सी0बी0आई0 बनाम अतीक अहमद आदि

06.03.2020 **प्रार्थना ब–8 व आपत्ति बी–10 का निस्तारण**

यह प्रार्थना पत्र अभियुक्त गुलाम सरवर की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा इस आशय के साथ दिया गया है कि अभियुक्त 14 महीने से जेल में निरूद्ध है परिवार के पास आय का कोई साधन नहीं है अभियुक्त के पास कुछ प्रापर्टी है जिसे बेचकर प्रार्थी अपने परिवार का जीवन यापन करवाना चाहता है और इसीलिए वह अपनी पत्नी के नाम पावर आफ अटार्नी करना चाहता है। पावर आफ एटार्नी हो जाने के पश्चात् प्रार्थी की पत्नी उसको बेचकर अपना व परिवार का पालन पोषण करसकती है। अतः अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में तलब करके पावर आफ एटार्नी किये जाने की अनुमति प्रदान करने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

आपत्ति बी–10 सी.बी.आई. की ओर से प्रस्तुत की गई और यह कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कृष्णा नगर थाने में मोहित जायसवाल द्वारा दर्ज करायी गयी थी जिसमें शिकायतकर्ता ने यह कथन किया था कि पूर्व सांसद अतीक अहमद ने दो वर्ष पहले उसके ऊपर दबाव डालकर उद्दापन द्वारा धन लिया था जिसके पश्चात् अतीक अहमद ने कुछ समय के लिए उसे धमकाना बन्द कर दिया था फिर दोबारा शिकायतकर्ता की कम्पनी में फारूख और जकी अहमद के नाम स्वामी के रूप में डालने के लिए दबाव डाला। 26.12.2018 को अतीक अहमद का एक सहयोगी उसका अपहरण करके उसकी फारचूनर सहित देवरियॉ ले गया जहॉ अतीक अहमद, उसका बेटा उमर और10–12 सहयोगी देवरियॉ जेल में पहले से थे जिनमें जफरूल्लाह और गुलाम सरवर का नाम अतीक अहमद के द्वारा लिया जा रहा था वहॉ पर उसको बुरीतरह से मारा पीटा जिससे उसकी ऊॅगलियॉ फैक्चर हो गयी और उसे बाहरी और अंदरूनी काफी चोटें आयी और इसके पश्चात् अतीक अहमद ने बलपूर्वक उसकी कम्पनी एम0जे0 इन्फ्रा हाऊसिंग प्रा0लि0, एम0जे0 इन्फ्रा ग्रीन प्रा0लि0, एम0जे0 इन्फ्रा ईस्टेट प्रा0लि0 एवं एम0जे0 इन्फ्रा लैण्ड एल0पी0 फारूख और जकी अहमद के नाम स्थानान्तरित करवाया। उसकी फारचूनर भी बलपूर्वक ले ली और कम्पनी के 15–20 खाली लेटर पैड पर रेजिग्नेशन लेटर एवं बोगस हस्ताक्षर करवाने के बाद अतीक अहमद और उसके पुत्र उमर और उसके अन्य सहयोगी ने यह कहा कि ''हरामजादे तुझे मजबूरी में जिन्दा छोड़ रहा हूॅ क्योंकि जेल के अन्दर हत्या नहीं कर सकता हूॅ नहीं तो आज तेरी बोटियॉ काटकर बिरयानी बनवा लेता।'' यह केस सी.बी.आई. को हस्तान्तरित हुआ, विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि गुलाम सरवर के नाम पर वुड पैकर ट्रैवल एवं टूर्स प्रा0लि0 तथा वुडपैकर इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 चल रही है। दोनों कम्पनियों में मोहित जायसवाल की कम्पनीज के बैंक एकाउन्ट से फण्ड स्थानान्तरित करवाये थे और अभियुक्त ने उन्हीं फण्ड से इन सम्पत्तियों को बनवाया है और जानबूझकर वह उनको खुर्दबुर्द कर देना चाहता है जबकि विवेचना अभी आगे अग्रसर हो रही है। अतः गुलाम सरवर के इस आवेदन को निरस्त कर दिया जाय।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के प्रार्थना पत्र में यह कहीं वर्णित नहीं है कि वह किस सम्पत्ति का मालिक है, कौन सी सम्पत्ति उसे बिक्रय करनी है और किन सम्पत्तियों के संबंध में वह पावर आफ अटार्नी करना चाहता है। सी.बी.आई. की ओर से भी यह आपत्ति की गई है कि अभियुक्त की सम्पत्ति में पीड़ित शिकायतकर्ता का ही पैसा लगा है जिसे वह खुर्दबुर्द करना चाहता है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र में कोई आधार वर्णित भी नहीं किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। विवेचना भी अभी प्रचलित है।

<u>आदेश</u>

बी–8 प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(डा0 विदुषी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिम,लखनऊ।